सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 151/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–12.06.2025

GCMS ID–2025/393

बउनवान

1. मोहनलाल आत्मज श्री भंवरलाल जी जाति माली निवासी ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. कजोड पुत्र गोरधन जाति माली निवासी ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. छोटूलाल पुत्र गोरधन जाति माली निवासी ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री पदम कासलीवाल।

वकील अप्रार्थी :– दिनेश शर्मा।

आदेश

दिनांक :–26.02.2026

प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 304 पुराना 302 की खसरा संख्या 1251, 1291, 1317 वाके ग्राम ठीकरदा पटवार हल्का ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में आवेदक मोहनलाल पुत्र भूरया जाति माली निवासी ठीकरदा के खातेदार के रूप में अंकित है। आवेदक के खेत खसरा संख्या 1251 1291, 1317 के पडौसी अनावेदक कजोड पुत्र गोरखेन एवं छोटूलाल पुत्र गोरधन जाति माली निवासी ठीकरदा के खेत खसरा संख्या 1250, 1252, 1293, 1315, 1297, 1292 है। आवेदक आराजी खसरा संख्या 1251, 1291; 1317 की पत्थरगढी करवाना चाहता है। आवेदक नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदक की जमीन खसरा संख्या 1251. 1291, 1317 की पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश तहसीलदार साहब हिण्डोली को प्रदान करें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमियों का पूर्व में कोई सीमाज्ञान नहीं करवाया है और न ही पडोसी काश्तकारों को पक्षकार बनाया है, जिसके बिना पत्थरगढी करवाया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम ठीकरदा पटवार मण्डल ठीकरदा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 304 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा जिन खसरा नम्बरों की पत्थरगढी करवाने का प्रकरण पेश किया है, उन खसरा नम्बरों के पडोसी खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। केवल संदेह के आधार पर प्रार्थी की भूमियों की पत्थरगढी करवाना चाहता है। इस बाबत दौराने बहस भी वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी किन–किन पडौसी भूमियॉ से अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है, उन भूमियों बाबत कोई दस्तावेजात व उन भूमियों के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जाना कथन किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण केवल संदेह के आधार पर पत्थरगढी करवाये जाने बाबत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी उपर वर्णित तथ्यों अनुसार आवश्यक पक्षकारों का संयोजन नहीं करने/दस्तावेजात पेश नहीं करने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446